रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 211] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 1, 2012/आश्विन 9, 1934
No. 211] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 1, 2012/ASVINA 9, 1934

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2012

सं. भा.आ.प. 34(41)/2012-मेडि./131318.—भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 (1956 का 102) की धारा 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियो का इस्तेमाल करते हुए "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली 1999" में पुनः संशोधन करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्, केन्द्रीय सरकार के पूर्व स्वीकृति से एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, नामतः –

1. (i) इन विनियमो को "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली (संशोधन), 2012 कहा जाए।

   (ii) वे सरकारी राजपत्र मे उनके प्रकाशन की तारिख से प्रवृत होंगे।

2. "आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना, विनियमावली, 1999" में अभिवर्धन/संशोधन/विलोप/प्रतिस्थापन दर्शाये जाऐंगे : –

3. परिभाषा मे प्वांइट सं. 2 के पश्चात निम्नलिखित जोडा जाएगाः

केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन स्थापनाओ/ सहायता प्राप्त प्रतिप्ठानो/ एजेंसियो/ उपकमो के सम्बन्ध मे "समुचित सरकार " का अर्थ हैं – केंद्र सरकार और अन्य सभी मामलों मे राज्य सरकार "।

4. " अर्हता मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खंड 2 (5) मे अंतिम पैराग्राफ के पश्चात् निम्नलिखित जोडा जाएगा:–

" बशर्ते कि यदि समुचित सरकार की कोई एजेंसी या सरकार का सहायता प्राप्त प्रतिष्ठान, कोई मेडिकल कॉलेज स्थापित करना चाहता है तो उसे इस उद्देश्य के लिए एक समझौता ज्ञापन करके समुचित सरकार के स्वामित्व वाले और के द्वारा प्रबंधित अस्पताल की सुविधाओ का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती हैं।

5. "अर्हता मापदंड" शीर्षक के अंतर्गत खड 2 (2) मे पहला और दूसरा पैराग्राफ निम्नलिखित रूप मे प्रतिस्थापित किए जाएंगे :–

" बशर्ते कि 25 पच्चीस लाख या इससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरी समूहो/ शहरो नामतः दिल्ली, जयपुर, कानपुर, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत, वृहत मुम्बई, पुणे, हैदराबाद, बंगलौर और चेन्नई मे भारत सरकार द्वारा की गई भारत की जनगणना, 2011 के अनुसार, मेडिकल कॉलेजो की अनुमति देने का मानदण्ड अनुमेय एफएआर/ एफएसआई होगा बशर्ते कि न्यूनतम मानक शर्त विनियमावली के अनुसार अपेक्षित मेडिकल कॉलेज, अस्पताल, छात्रावास आवासीय क्वार्टरों और अन्य अवसंरचना सहित अन्य उपयुक्त अवसंरचना के लिए अपेक्षित कुल निर्मित क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमत, अनुमेय एफएआर/एफएसआई के आधार पर कम से कम 10 एकड़ का क्षेत्र उपलब्ध कराया जाये।

पुनः बशर्ते कि पर्वतीय क्षेत्रों, अधिसूचित जनजातीय क्षेत्रों, पूर्वोत्तर राज्यों और संघ शासित क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार, दमन एवं दीव, दादरा एवं नागर हवेली तथा लक्षद्वीप में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति, न्यूनतम 20 (बीस) एकड़ की भूमि वाले दो भूखण्ड उपलब्ध कराने पर दी जायेगी। तथापि, एक भूखण्ड 10(दस) एकड़ से कम नही होगा और दूसरा भूखण्ड 5 (पाँच) एकड़ से कम नही होगा। दो भूखण्डों के बीच की दूरी, सडक मार्ग से ठीक ढंग से जुडी हुई, 10 (दस) किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिये और मेडिकल कॉलेज, छात्रों और स्टाफ को निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा। अस्पताल एक भूखंड पर होगा और पुस्तकालय और छात्रों, इंटर्नों, पीजी./रेजीडेंटो, नर्सों के लिए छात्रावास सहित कॉलेज का भवन दो में से किसी एक भूखण्ड पर स्थापित किया जा सकता है।''

6. ''आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999'' में ''नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति और केंद्र सरकार तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग की अनुसूची'' निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायेगी:

अनुसूची

नये मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए आवेदनपत्रों की प्राप्ति और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग की अनुसूची

क्रम सं.	प्रोसेसिंग का चरण	अंतिम तारीख
1.	परिषद द्वारा आवेदनों की प्राप्ति	वर्ष के एक अगस्त से 30 सितम्बर (दोनों दिनों को शामिल करते हुए)
2.	परिषद द्वारा माँग पत्र जारी करना	30 अप्रैल तक
3.	अनुमति पत्र जारी करने के लिए विचार किए जाने हेतु परिषद द्वारा आवेदक से उत्तर की प्राप्ति	31 मई तक
4.	परिषद द्वारा अनुमति पत्र जारी करना	15 जून

टिप्पणी:- ऊपर दर्शायी गई समय अनुसूची में, आवेदन पत्रों की किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में लिखित में रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों से केंद्र सरकार द्वारा संशोधन किया जा सकता है।

टिप्पणी:- (1) किसी मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदनपत्र के भाग-I में आवेदक द्वारा दी गई सूचना अर्थात संगठन, मूलभूत अवसंरचनात्मक सुविधाओं, आवेदक की प्रबंधकीय और वित्तीय सक्षमता से संबंधित सूचना की संवीक्षा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा, एक निरीक्षण के जरिये की जा सकती है और इसके पश्चात भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद आशयपत्र जारी कर सकती है।

(2) किसी मेडिकल कालेज को अनुमति का नवीकरण स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यदि कोई मेडिकल कॉलेज खोलने की उपर्युक्त अनुसूची का अनुपालन नहीं किया जाता और दाखिले, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किए जायेंगे।

प्रो. संजय श्रीवास्तव, सचिव

[विज्ञापन-III/4/100/12/असा.]

पाद टिप्पणी : प्रधान नियमावली नामतः **'आयुर्विज्ञान कॉलेज की स्थापना विनियमावली, 1999'** दिनांक 28 अगस्त, 1999 को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अधिसूचना संख्या 34(41)/98–मेडि. के अंतर्गत भारत के गजट के भाग– III, धारा (4) में प्रकाशित किया गया था और इसे दिनांक 7 अक्तूबर, 1999, 14 अगस्त, 2000, 29 जुलाई, 2008, 22 अक्तूबर 2009, 26 फरवरी, 2010, 16 अप्रैल 2010, 14 अक्तूबर, 2011 और 1 जून 2012 की अधिसूचना के अंतर्गत संशोधित किया गया था।

MEDICAL COUNCIL OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2012

No. Medical Council of India 34(41)/2012-Med./131318.— In exercise of powers conferred by Section 33 of the Indian Medical Council Act, 1956 (102 of 1956), the Medical Council of India with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations to further amend the "Establishment of Medical College Regulations, 1999" namely:-

1. (i) These regulations may be called the "Establishment of Medical College Regulations, (Amendment), 2012".

   (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the "Establishment of Medical College Regulations, 1999", the following **additions / modifications / deletions / substitutions,** shall be as indicated therein:-

3. In the Definition, the following shall be added after point number 2:

   "appropriate Government" means in respect of establishment/instrumentalities/agencies/undertaking under the control of Central Government, the Central Government, and in all other cases, the State Government"

4. In Clause 2(5) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", the following shall be added after the last paragraph:-

   "Provided that any agency or instrumentality of appropriate Government desirous of establishing a Medical College may be permitted to utilize the facilities of the Hospital owned and managed by appropriate Government by entering into a Memorandum of Understanding for this purpose."

5. In Clause 2(2) under the heading "QUALIFYING CRITERIA", the following shall be substituted for the first and second paragraph as under::-

   ***"Provided* that in urban agglomerations/cities having population of 25 (twenty five) lakhs or more, namely, Delhi, Jaipur, Kanpur, Lucknow, Kolkata, Ahmedabad, Surat, Greater Mumbai, Pune, Hyderabad, Bangalore and Chennai, according to the Census of India, 2011 conducted by Government of India, the permissible FAR/FSI shall be the criterion for allowing the medical colleges provide that the total built up area required for adequate infrastructure including medical college, hospital, hostels, residential quarters, and other infrastructure required as per Minimum Standard Requirement Regulations is made available in an area of not less than 10 acres based upon the permissible FAR/FSI allowed by the competent authority.**

Provided further that in hilly areas, notified tribal areas, North Eastern States and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli and Lakshadweep establishment of medical college shall be allowed on two pieces of land comprising minimum of 20 (twenty) acres of land. However, one plot of land shall not be less than 10 (Ten) acres and the second plot of land shall not be less than 5 (five) acres. The distance between two pieces of land shall not be more than 10 (ten) kilometer with well-connected road and the medical college shall provide free transportation facility for students and staff. The hospital shall be on one piece of land and the building of the college including library and hostels for the students, interns, PGs/Residents, nurses may be housed on any of the two pieces of land."

6. In the "ESTABLISHMENT OF MEDICAL COLLEGE REGULATIONS, 1999", in "SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATION FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL COLLEGES AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE CENTRAL GOVERNMENT AND THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA", the following shall be substituted as under:-

"…….

SCHEDULE

SCHEDULE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS FOR ESTABLISHMENT OF NEW MEDICAL COLLEGES AND PROCESSING OF THE APPLICATIONS BY THE MEDICAL COUNCIL OF INDIA.

S.No.	Stage of processing	Last Date
1.	Receipt of applications by the Council	From 1st August to 30th September (both days inclusive) of the year.
2.	Issue of Letter of Intent by the Council	Upto 30th April
3.	Receipt of reply from the applicant by the Council for consideration for issue of Letter of Permission	Upto 31st May
4.	Issue of Letter of Permission by the Council	15th June

Note: The time schedule indicated above may be modified by the Central Government, for reasons to be recorded in writing, in respect of any class or category of applications.

Note: (1) The information given by the applicant in Part-I of the application for setting up a medical college that is information regarding organization, basic infrastructural facilities, managerial and financial capabilities of the applicant shall be scrutinized by the Medical Council of India through an inspection and thereafter the Council may issue letter of Intent.

(2) **Renewal of permission shall not be granted to a medical college if the above schedule for opening a medical college is not adhered to and admissions shall not be made without prior approval of the Medical Council of India.**

Prof. SANJAY SHRIVASTAVA, Secy.

[ADVT.-III/4/100/12/Exty.]

Foot Note : The Principal, Regulations namely, "Establishment of Medical College Regulations, 1999" were published in Part-III, Section (4) of the Gazette of India on the 28th August, 1999., vide Council of India Notification No.34(41)/98-Med. and amended vide notification 7th October 1999, 14th August, 2000, 29th July, 2008, 22nd October 2009, 26th February, 2010 and 16th April, 2010, 14th October, 2011 and 1st June, 2012.

37374 GI/12—2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.